न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 30/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. हंजाराम पुत्र रूपाराम जाति पुरोहित निवासी फागोतरा तहसील भीनमाल जिला जालोर		1. प्रतापाराम पुत्र चेनाजी जाति रेबारी निवासी फागोतरा तहसील भीनमाल जिला जालोर 2. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे. (ए.डी.बी.) शाखा भीनमाल 3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार भीनमाल

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री सिकन्दर अली, बिद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 12.9.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर न्यायालय सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/2015 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.02.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सह खातेदारी भूमि है, जिसमें अपीलाण्ट का 1/2 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 व 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो सम्मन जारी किया गया, वह सम्मन अपीलाण्ट से व्यक्तिशः तामील ही नहीं हुआ तथा न ही मौके पर चस्पा किया गया। विधि विरूद्ध रूप से करवाई गई तामील रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित की गई। उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में न तो तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण किया तथा न ही मौका निरीक्षण हेतु अपीलाण्ट को किसी प्रकार से नोटिस जारी किया। मात्र पटवारी हल्का की मौका जांच रिपोर्ट एवं पटवारी द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

को अग्रेसित कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। विधि अनुसार विभाजन के प्रकरण में स्वयं तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण किया जाना आज्ञापक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। जैर अपील वादस्थ भूमि में मौके पर कुंआ, विद्युत कनेक्शन आदि स्थित है, जिसका मौका रिपोर्ट एवं विभाजन प्रस्ताव में कोई उल्लेख नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 0.06 हैक्टेयर भूमि संयुक्त खातेदारी में रखी गई है, उसका कोई औचित्य ही स्पष्ट नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान नहीं किया है। विधि विरूद्ध रूप से करवाई गई तामील रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए एवं विधि के आज्ञापक प्रावधानों को दरकिनार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलाण्ट के नाम जो सम्मन जारी किया गया है, वह दो स्वतन्त्र व्यक्तियों की उपस्थिति में मौकें पर चस्पा किया गया है, जो सम्यक् तामील की परिभाषा में आने से तामील माना गया है। अपीलाण्ट इसके बावजूद भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय द्वारा प्रकरण में निहित विधिक बिन्दुओं को विवेचित करते हुए प्रकरण प्राथमिक डिक्री योग्य होने से प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित की है। प्रकरण में पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में जो रिपोर्ट तैयार की गई, उसमें पक्षकारों को उनके हिस्से अनुसार भूमि प्रदान की गई है। रहवास की भूमि शामलाती रखी गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, उस पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है, जो विधि सम्मत है। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट का मुख्य उज्र यह रहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो सम्मन जारी किया गया, वह अपीलाण्ट से व्यक्तिशः तामील ही नहीं हुआ। इस कारण अपीलाण्ट को उक्त वाद की जानकारी ही नहीं थी। इस पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन पर तामील कुनिन्दा द्वारा सम्मन चस्पा करने के कॉलम में रिपोर्ट की है, किन्तु उक्त सम्मन किस दिनांक को किस स्थान पर चस्पा किया गया, अंकित ही नहीं है। इस सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 17 में जो तामीली प्रक्रिया विहित है, उसके अनुसार – "जब प्रतिवादी तामीली का प्रतिग्रहण करने से इन्कार करे या न पाया जाए, तब प्रक्रिया – जहॉ प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता या उपरोक्त जैसा अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है, या जहॉ तामील करने वाला अधिकारी सभी सम्यक् और युक्तियुक्त तत्परता बरतने के पश्चात प्रतिवादी को न पा सके (जो अपने निवास स्थान से उस समय अनुपस्थित है, जब उस पर समन की तामील उसके निवास स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाये जाने की संभावना नही है) और ऐसा कोई अभिकर्ता नही है, जो समन की तामील का प्रतिग्रहण उसकी ओर से करने के लिये सशक्त है और न ही ऐसा कोई अन्य व्यक्ति है, जिस पर तामील

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की जा सके, वहॉ तामील करने वाला अधिकारी उस गृह के, जिसमें प्रतिवादी मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है, बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर समन की एक प्रति लगायेगा और तब वह मूल प्रति को उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्ध ऐसी रिपोर्ट के साथ जिसमें यह कथित होगा कि उसने प्रति को ऐसे लगा दिया है और वे कौन सी परिस्थितियां थी, जिसमें उसने ऐसा किया, कथित होगी और जिसमें उस व्यक्ति का (यदिकोई हो) नाम और पता कथित होगा, जिसने गृह पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई गई थी, उस न्यायालय को लौटायेगा, जिसने समन निकाला था।" इसके अतिरिक्त आदेश 5 नियम 19 में तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा — जहां समन नियम 17 के अधीन लौटा दिया गया है, वहॉ तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा के प्रावधान है, जिसमें यह विहित है कि "अपनी कार्यवाहियों की बाबत न्यायालय स्वयं या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उस दशा में करेगा या कराएगा, जिसमें उस नियम के अधीन विवरणी तामील करने वाले अधिकारी द्वारा शपथ पत्र द्वारा सत्यापित नही की गई है और उस दशा में कर सकेगा या करा सकेगा, जिसमें वह ऐसे सत्यापित की गई है और उस मामले में ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और या तो वह घोषित करेगा कि समन की तामील सम्यक् रूप से हो गई है या ऐसी तामील का आदेश करेगा, जो वह ठीक समझे।" हस्तगत प्रकरण में इन प्रक्रियाओं का पूर्णतः अभाव सिद्ध हुआ हैं, जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामील प्रक्रिया को उचित मानना त्रुटीपूर्ण था। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में जो विभाजन प्रस्ताव पटल पर आया है, वह इस कारण विधिमान्य नहीं है, क्योंकि उक्त प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत कृषि जोतों के विभाजन के प्रावधान उल्लेखित है। इन प्रावधानों की पालना राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 के तहत की जानी आज्ञापक है। इसमें भी स्पष्टतः समक्ष न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन नियम 20 व 21 के तहत किये जाने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में पारित डिक्री की पालना रिपोर्ट, जो तहसींलदार द्वारा मातहत अदालत को प्रेषित की गई है, का उक्त नियमों के सन्दर्भ में परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि तहसीलदार द्वारा जैर अपील प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में इन नियमों के विहित प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नही की गई है। न्यायालय के आदेशानुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाना था, किन्तु तहसीलदार द्वारा न तो भूमि का निरीक्षण किया गया, न नक्शा तैयार किया गया तथा न ही पक्षकारान् को मौके पर उपस्थित होने हेतु कोई नोटिस आदि जारी किया, मात्र पटवारी हल्का द्वारा तैयार प्रस्ताव को अग्रेसित कर दिया, जिस पर तहसीलदार ने प्रति हस्ताक्षर किए है, किन्तु पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसमें उपरोक्त नियमों की पूर्णतः अनदेखी की गई है तथा साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इन तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जिसे किसी भी स्थिति में न्यायोचित नही माना जा सकता है। इस प्रकार अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर कर न्यायालय सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/2015 में पारित निर्णय एवं डिक्री

दिनांक 14.12.2015 एवं 29.02.2016 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशो के साथ सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रानीवाडा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डेल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर